कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4103 प्र0अ0 / सि0वि0 / का0–2 / ई–15 / उ0ा0 दिनांक 06 जून 2016

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री नारायण सिंह / 16.10.64 / अल्मोडा	परिकल्प खण्ड, रूड़की	सिंचाई खण्ड, अल्मोडा	धारा–07(क)(ख)	अधिनियम की धारा 7(ग) में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 10 वर्ष, जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधिनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्याभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4103 / प्र0अ0 / कार्मिक–2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / स्तर–II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागी पोर्टल / वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4104 प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–15 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री रघुनन्दन सिंह / 17.08.64 / हरिद्वार	परिकल्प खण्ड, रूड़की	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी	धारा–07(क)(ख)	अधिनियम की धारा 7(ग) में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 10 वर्ष, जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4104 / प्र0अ0 / कार्मिक–2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / स्तर–II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागी पोर्टल / वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4105 / प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–15 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजीव कुमार / 20.12.67 / मुजफ्फरनगर	नलकूप खण्ड, रूड़की	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	धारा–07(क)(ख)	अधिनियम की धारा 7(ग) में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 10 वर्ष, जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4105 / प्र0अ0 / कार्मिक–2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / स्तर–II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागी पोर्टल / वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4106 प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–15 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री राजीव कुमार जौहरी / 01.01.65 / हरिद्वार	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, कोटद्वार	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	धारा–07(क)(ख)	अधिनियम की धारा 7(ग) में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 10 वर्ष, जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तदनुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4106 / प्र0अ0 / कार्मिक–2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / स्तर–II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागी पोर्टल / वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4107 प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–15 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतदद्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा / 13.01.64 / मेरठ	सिंचाई खण्ड, रूड़की	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	धारा–07(क)(ख)	अधिनियम की धारा 7(ग) में निहित प्राविधानानुसार स्थानान्तरित कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 वर्ष अथवा 10 वर्ष, जो भी पहले हो।

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधहनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4107 / प्र0अ0 / कार्मिक–2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / स्तर–II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागी पोर्टल / वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4108 प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–15 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तरित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री धनपाल सिंह रावत / 30.09.67 / टिहरी	पी0एम0जी0एस0वाई सिंचाई खण्ड–1, नई टिहरी	परिकल्प खण्ड, रूड़की	धारा–10(क)(ख)	–

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4108 / प्र0अ0 / कार्मिक–2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / स्तर–II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागी पोर्टल / वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4109 प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–15 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री कुन्दन लाल / 15.03.67 / पिथौरागढ़	सिंचाई खण्ड, धारचूला	सिंचाई खण्ड, रूद्रपुर	धारा–10(क)(ख)	–

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4109 / प्र0अ0 / कार्मिक–2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / स्तर–II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागी पोर्टल / वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4110 प्र0अ0/सिं0वि0/का0–2/ई–15/स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम/जन्मतिथि/ गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री संजय कुमार सेमवाल/05.01.78 /उत्तरकाशी	सिंचाई खण्ड, नई टिहरी	सिंचाई खण्ड, कालसी	धारा–10(क)(ख)	–

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को सस्मय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति/पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य/आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4110/प्र0अ0/कार्मिक–2/तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I/स्तर–II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागी पोर्टल/वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र माण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4111 प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–15 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री कमल सिंह पंवार / 15.12.70 / पौडी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, श्रीनगर	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, कोटद्वार	धारा–10(क)(ख)	–

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह **"उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित)** के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4111 / प्र0अ0 / कार्मिक–2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / स्तर–II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागी पोर्टल / वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता

(10)

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग–2) सिंचाई विभाग,
उत्तराखण्ड, देहरादून

पत्रांक 4112 प्र0अ0 / सिं0वि0 / का0–2 / ई–15 / स्था0 दिनांक 08 जून 2018

:– कार्यालय ज्ञाप –:

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए निर्गत वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित प्राविधानों के अन्तर्गत खण्डीय अनुसचिवीय अधिष्ठान में कार्यरत निम्नलिखित प्रशासनिक अधिकारी को उनके नाम के सम्मुख अंकित कालम–3 में अंकित कार्यालय से कालम–4 में अंकित कार्यालय में एतद्द्वारा जनहित में स्थानान्तरित किया जाता है।

क0 सं0	नाम / जन्मतिथि / गृहजनपद	कार्यरत कार्यालय का नाम	स्थानान्तररित कार्यालय का नाम	स्थानान्तरण हेतु अधिनियम की धारा	अधिनियम में निहित प्राविधानानुसार वापसी की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री प्रकाश सिंह / 15.11.67 / पौडी	पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड, बैजरो	नलकूप खण्ड, रूड़की	धारा–10(क)(ख)	–

सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारियों को यह निर्देशित किया जाता है कि स्थानान्तरण अधिनियम–2017 में निहित निम्नानुसार प्राविधानों के अन्तर्गत अपने अधीनस्थ कार्यालय में स्थानान्तरित प्रत्येक कार्मिक को निर्धारित समयान्तर्गत कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेगें तथा अनुपालन आख्या तत्काल इस कार्यालय को उपलब्ध करायेगें:–

1. प्रत्येक स्थानान्तरित कार्मिक को पदस्थापित कार्यालय में आदेश निर्गत होने की तिथि से एक सप्ताह तक प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। तद्नुसार सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा सम्बन्धित कार्मिक को ससमय कार्यमुक्त कराना होगा।
2. स्थानान्तरित कार्मिक को कार्यमुक्त किये जाने के पश्चात वर्तमान कार्यालय द्वारा वेतन आहरित नही किया जायेगा।
3. स्थानान्तरित कार्मिक को नियमानुसार अनुमन्य कार्यभार ग्रहण अवधि का उपभोग कार्यभार ग्रहण करने के उपरान्त कर सकेगें।
4. स्थानान्तरित कार्मिकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
5. स्थानान्तरित किये गये कार्मिकों के द्वारा नव तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण न करने पर उनके विरूद्व धारा 24 के अनुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी।
6. यदि स्थानान्तरित कार्मिकों द्वारा स्थानान्तरण रोकने के लिए अपने माता–पिता, पति / पत्नी अथवा अन्य सम्बन्धियों से प्रत्यावेदन प्रेषित किये जाते हैं तो उसे अनिवार्य रूप से उस कार्मिक की व्यक्तिगत पत्रावली में रखा जायेगा और ऐसे प्रत्यावेदनों को अग्रसारित नही किया जायेगा तथा सम्बन्धित कार्मिक की वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि में भी इस आचरण को अंकित किया जायेगा।
7. यदि कोई सरकारी सेवक स्थानान्तरण आदेश के विरूद्व दबाव डलवाने का प्रयास करे तो, उसके इस कृत्य / आचरण को "सरकारी आचरण नियमावली" का उल्लंघन मानते हुये उसके विरूद्व "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–2003 (समय समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।
8. जो कोई, इस अधिनियम के अधीन दिए गए किसी आदेश या निदेश का, ऐसे समय के भीतर, जो उक्त आदेश या निदेश में विनिर्दिष्ट किया जाय, अनुपालन करने में असफल रहेगा या इस अधिनियम के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन करेगा या उल्लंघन करने का प्रयत्न करेगा, वह "उत्तराखण्ड सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 2003 (समय–समय पर यथासंशोधित) के संगत प्राविधानों के अधीन दण्डनीय होगा।

एन0के0 शर्मा
मुख्य अभियन्ता(यांत्रिक)

संख्या : 4112 / प्र0अ0 / कार्मिक–2 / तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता स्तर–I / स्तर–II, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
2. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
3. सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड।
4. सम्बन्धित कोषाधिकारी।
5. विभागी पोर्टल / वैबसाईट पर अपलोड हेतु
6. वैयक्तिक अधिकारी, कैम्प कार्यालय प्रमुख अभियन्ता को प्रमुख अभियन्ता महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
7. कट फाईल हेतु।

(मोहन चन्द्र पाण्डेय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी(कार्मिक–2)
कृते प्रमुख अभियन्ता